

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्र./शि.क./सी/67(17)/अध्या.संवि./2017-18/ 1092
प्रति,

भोपाल, दिनांक 29.06.2018

जिला शिक्षा अधिकारी (समस्त),
मध्यप्रदेश।

विषय :- हाईस्कूल एवं हायर सैकेण्ड्री स्कूलों में अन्तर्निकाय संविलियन की जारी अनुमति के अन्तर्गत कार्यमुक्ति की अवधि बढ़ाये जाने के संबंध में।

सन्दर्भ :- इस कार्यालय के पत्र क्र./शि.क./सी/67(17)/अध्या.संवि./2017-18/724-725, दिनांक 23.05.18

:: 00 ::

विषयांकित प्रकरण में संदर्भित-पत्र का अवलोकन कीजिए। संदर्भित पत्र के द्वारा हाईस्कूल एवं हायर सैकेण्ड्री स्कूलों में (आदिवासी से गैर आदिवासी, गैर आदिवासी से आदिवासी एवं आदिवासी से आदिवासी क्षेत्र की शालाओं को छोड़कर) अन्तर्निकाय संविलियन की अनुमति प्राप्त आवेदकों को कार्य मुक्त करने की तिथि 08.06.18 नियत की गई थी, इस तिथि को 05 जुलाई 2018 तक बढ़ाई जाती है।

2.
(जयश्री किरण) ~~आयुक्त~~

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 29.06.2018

पृष्ठां.क्र./शि.क./सी/67(17)/अध्या.संवि./2017-18/ 1093
प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

आयुक्त
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश